भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5287
उत्तर देने की तारीख 03 अप्रैल, 2023
सोमवार, 13 चैत्र, 1945 (शक)

घरेलू कामगारों के लिए योजना

5287. श्रीमती मंजुलता मंडल: श्री जी. सेल्वम: श्री धनुष एम. कुमार:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत घरेलू कामगारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु राज्य में विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितने घरेलू कामगारों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है;

(घ) क्या सरकार ने घरेलू कामगारों के लिए नए क्षेत्र कौशल परिषदों की भी स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस कदम के पीछे क्या उद्देश्य हैं;

(ङ) क्या सरकार ने घरेलू सहायता क्षेत्र के लिए कौशल अंतर रिपोर्ट की भी रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान कौशल विकास के लिए शामिल किए जाने वाले घरेलू कामगारों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा घरेलू कामगार के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को कौशल विकास प्रदान करने के संबंध में अगले पांच वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) कुशल भारत मिशन के अंतर्गत अपनी महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के माध्यम से असंगठित क्षेत्र को कवर करने वाले घरेलू कामगार क्षेत्र के तहत देश के युवाओं को कौशल प्रदान कर रहा है।

(ख) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, दिनांक 31.12.2022 तक, 1.92 लाख उम्मीदवारों को घरेलू कामगार क्षेत्र के अंतर्गत प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

(ग) पीएमकेवीवई के अंतर्गत, तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्षों में 2079 उम्मीदवारों को घरेलू कामगार क्षेत्र में प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है और वर्तमान वर्ष में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

(घ) एमएसडीई ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप जॉब रोल तैयार करने और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या तैयार करने, कौशल अंतराल अध्ययन आयोजित करने और घरेलू कामगार क्षेत्र के शिक्षुओं का आकलन एवं प्रमाणन करने के लिए वर्ष 2015-16 में एक उद्योग-नीत स्वायत्त निकाय के रूप में घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद (डीडब्ल्यूएसएससी) का गठन किया गया है।

(ङ) वर्ष 2013-17 और वर्ष 2017-22 के बीच घरेलू कामगार क्षेत्र सहित 24 क्षेत्रों में वर्धित कौशल आवश्यकताओं के क्षेत्रीय और भौगोलिक प्रसार को समझने के उद्देश्य से वर्ष 2010-2014 में एनएसडीसी द्वारा एक कौशल अंतराल अध्ययन आयोजित किया गया था। घरेलू कामगार क्षेत्र के अंतर्गत कौशल अंतराल को कम करने के लिए मंत्रालय ने अपनी महत्वाकांक्षी स्कीम पीएमकेवीवाई के माध्यम से घरेलू कामगारों को प्रशिक्षित किया है।

(च) बाजार की मांग के आधार पर अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, इसलिए घरेलू श्रमिकों के कौशल विकास के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

****